निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 श्रावण 1939 (श0)
(सं0 पटना 676) पटना, मंगलवार, 1 अगस्त 2017

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना
28 जुलाई 2017

सं0 7/स्था0(अरा0 उ0)–21/2016–3248—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल अराजपत्रित उत्पाद कर्मियों के स्वीकृत पदों पर भर्ती एवं सेवा शर्त्तों के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है:–

1. संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ।–(1) यह नियमावली "बिहार उत्पाद अराजपत्रित संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2017" कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. **परिभाषाऍं।**– जब तक कोई बात विषय अथवा संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:–

(i) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

(ii) 'नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है आयुक्त उत्पाद, बिहार;

(iii) "विभाग" से अभिप्रेत है मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग;

(iv) 'संवर्ग" से अभिप्रेत है "बिहार उत्पाद अराजपत्रित पदाधिकारी संवर्ग;"

(V) "आयुक्त" से अभिप्रेत है आयुक्त उत्पाद बिहार;

(Vi) "भर्त्ती एजेंसी" से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग अथवा विभाग द्वारा चयनित कोई अन्य एजेंसी;

(Vii) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची।

3 **सवंर्ग का गठन।** (1) इस संवर्ग का पद सोपान निम्नवत होंगे:–

(क) उत्पाद सिपाही;

(ख) सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद;

(ग) अवर निरीक्षक उत्पाद।

(2) संवर्ग का कुल पद बल वही होगा, जो समय–समय पर राज्य सरकार के द्वारा विनिश्चित एवं स्वीकृत किया गया हो। राज्य सरकार समय–समय पर आवश्यकतानुसार पदबल की संख्या को पुनरिक्षित कर सकेगी।

4. भर्त्ती।— इस संवर्ग के नियमित पद के विरूद्ध, राज्य सरकार द्वारा विहित वेतनमान पर, विहित प्रक्रिया से नियुक्ति, सक्षम प्राधिकार के द्वारा की जायेगी।

(1) उत्पाद सिपाही के सारे पद सीधी भर्त्ती से भरे जायेंगे।

(2) मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति, उत्पाद सिपाही के स्वीकृत पदों के विरूद्ध की जा सकेगी।

(3) सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद के सारे पद, प्रोन्नति द्वारा, वरीयता सह योग्यता के आधार पर योग्य, प्रशिक्षित, उत्पाद सिपाही में से भरे जायेंगे।

(4) अवर निरीक्षक उत्पाद के कुल पद बल के 75 प्रतिशत पद, सीधी भर्त्ती द्वारा भरे जायेंगे। शेष 25 प्रतिशत पद, वरीयता सह योग्यता के आधार पर, प्रोन्नति द्वारा, अवर निरीक्षक के पद हेतु विहित योग्यताधारी, सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद में से भरे जायेंगे।

5. सीधी नियुक्ति के लिए अर्हता।—शैक्षणिक अर्हता, शारीरिक योग्यता, उम्र सीमा, अन्य पात्रता मानदंड और उत्पाद सिपाही तथा अवर निरीक्षक उत्पाद के पद के लिये चयन की प्रक्रिया, जैसा कि बिहार पुलिस मैनुअल–1978 एवं गृह विभाग, बिहार द्वारा अधिसूचना द्वारा किये गये अनुगामी संशोधनों में सिपाही और अवर निरीक्षक के लिये क्रमशः विहित है, अंगीकृत किया जायेगा।

6. आरक्षण।—

(1) इस संवर्ग में, सीधी नियुक्ति अथवा प्रोन्नति के समय, राज्य में तत्समय प्रवृत्त आरक्षण संबंधी प्रावधान/रोस्टर का अनुपालन किया जायेगा।

(2) भर्त्ती एवं प्रोन्नति में आरक्षण का लाभ, केवल बिहार राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमान्य होगा। दूसरे राज्यों के आरक्षण कोटि के उम्मीदवारों को इस राज्य में नियुक्ति के समय सामान्य कोटि के उम्मीदवारों की श्रेणी का माना जायेगा।

7. परिवीक्षा अवधि।—

(1) उत्पाद सिपाही के पद पर, सीधी भर्त्ती/अनुकम्पा के आधार नवनियुक्त कर्मियों के लिये प्रथम नियुक्ति कर्मियों के लिये परिवीक्षा अवधि छः माह की होगी।

(2) अवर निरीक्षक उत्पाद के पद पर, सीधी भर्त्ती से आये, नवनियुक्त कर्मियों के लिये परिवीक्षा अवधि दो वर्षो की होगी।

(3) परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर, अभिलिखित किये जा सकने वाले कारणों से, उत्पाद सिपाहियों के लिए परिवीक्षा अवधि छः माह एवं उत्पाद अवर निरीक्षक के लिए परिवीक्षा अवधि एक वर्ष बढ़ायी जा सकेगी। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के तहत, सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पदधारी को सेवा से हटाया जा सकेगा।

8. प्रशिक्षण।—

(1) नवनियुक्त **उत्पाद सिपाही** के लिए उत्पाद अधिनियम के तहत बनी, उत्पाद सिपाही के जानने योग्य नियम, (जैसा आयुक्त उत्पाद विहित करें) एवं शस्त्र प्रशिक्षण सहित, वे सारे प्रशिक्षण, जो पुलिस सिपाही को दी जाती है, प्राप्त करना आनिवार्य होगा। प्रशिक्षण अवधि छः माह की होगी। यह प्रशिक्षण आरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय नाथनगर, भागलपुर अथवा अन्य स्थान, जिसे नियुक्ति प्राधिकार विहित करे, प्राप्त करना होगा। आरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय में प्रशिक्षण के उपरांत आयेजित परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करने के बाद ही उत्पाद सिपाही को प्रशिक्षित माना जायेगा। प्रशिक्षण हेतु विहित प्रक्रिया **अनुसूची–I** में विनिर्दिष्ट है।

(2) (i) सीधी भर्त्ती के माध्यम से नियुक्त **अवर निरीक्षक उत्पाद** से, परिवीक्षा के दौरान, ऐसा प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने की अपेक्षा की जायेगी, जो नियुक्ति प्राधिकार द्वारा समय–समय पर विहित की जाय। अभ्यर्थियों को समुचित क्रमबद्ध शारीरिक एवं मानसिक प्रशिक्षण के लिये, समय–समय पर, उन आरक्षी प्रशिक्षण महाविधालय में भेजा जा सकेगा, जहाँ नियुक्ति प्राधिकार, ''आयुक्त उत्पाद'' उचित समझें।

(ii) प्रशिक्षण अवधि 6 (छः)माह की होगी अथवा वह होगी, जैसा आयुक्त उत्पाद द्वारा विहित किया जाय।

(iii) प्रशिक्षण में उत्पाद अधिनियम एवं इसके अधीन बने नियमों, भारतीय दंड संहिता, सी0आर0 पी0सी0 एवं एवीडेंस एक्ट के प्रस्वीकृत धाराओं, अन्य प्रसंगित एक्ट, जैसा विहित किया जाय, के साथ साथ शस्त्र प्रशिक्षण सहित वे सारे प्रशिक्षण, जो पुलिस अवर निरीक्षक उत्पाद को दी जाती है या जैसा सक्षम प्राधिकार विनिर्दिष्ट करें, प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(iv) सीधी भर्त्ती के अवर निरीक्षकों के प्रशिक्षण हेतु विस्तृत आवश्यक दिशा निर्देश **अनुसूची–II** में विनिर्दिष्ट है।

(v) सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद से, प्रोन्नत अवर निरीक्षक उत्पाद को, दो माह या आयुक्त उत्पाद जैसा विहित करें, का पुनाश्रय पाठ्यक्रम (Refresher Course) एवं अधीनस्थों पर नियंत्रण से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। पुनाश्रय पाठ्यक्रम (Refresher Course) एवं अधीनस्थों पर नियंत्रण से संबंधित प्रशिक्षण हेतु विस्तृत आवश्यक दिशा–निर्देश **अनुसूची–III** में विनिर्दिष्ट है।

9. **सम्पुष्टि।–**

(1) परिवीक्षा अवधि संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने एवं आरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय में प्रशिक्षण के पश्चात् आयोजित परीक्षा में सफल होने के उपरांत, उत्पाद सिपाहियों की सेवा आयुक्त उत्पाद के द्वारा सम्पुष्ट की जायेगी।

(2) परिवीक्षा अवधि संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने, आरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय में प्रशिक्षण के पश्चात् आयोजित परीक्षा एवं विहित विभागीय परीक्षा में सफल होने उपरांत, अवर निरीक्षक उत्पाद, की सेवा, आयुक्त उत्पाद के द्वारा संपुष्ट की जायेगी।

10. **वेतनमान।–** इस संवर्ग के विभिन्न पदों पर राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर निर्धारित वेतनमान देय होगा।

11. **प्रोन्नति।–**

(1)(क) सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद के सभी पद, उत्पाद सिपाहियों में से, वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर, प्रोन्नति द्वारा भरे जाऐगें।

(ख) सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद को, वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर, अवर निरीक्षक उत्पाद के, कुल स्वीकृत पद बल के, 25 प्रतिशत पद पर, प्रोन्नति दी जायेगी।

(2) **प्रोन्नति हेतु अर्हतायें– (क) कालावधि–** इस संवर्ग में, संवर्गीय पदो पर प्रोन्नती हेतु ''न्यूनतम संतोषप्रद अर्हक सेवा'' (कालावधि) वह होगी, जो समय–समय पर सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश/निर्देश के द्वारा विहित की जाय।

(ख) सेवा सम्पुष्टि– प्रोन्नति हेतु सेवा में सम्पुष्ट होना आनिवार्य होगा।

(ग) आचरण– प्रोन्नती के लिए विचारण हेतु कर्मियों का आचरण संतोषप्रद होना अवश्यक होगा। कोई विभागीय कार्यवाही लंबित नही हों, तथा विचारण काल में कोई दण्ड प्रभावी अवस्था में न हो।

(घ) प्रशिक्षण– आरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय/महाविधालय अथवा किसी अन्य संस्थान में प्रशिक्षण के उपरांत आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

(3) (क) संबंधित पद पर प्रोन्नति, इस प्रयोजन हेतु गठित, ''विभागीय प्रोन्नति समिति'' की अनुशंसा पर दी जायेगी।

(ख) इस संवर्ग के पदों पर प्रोन्नति की प्रक्रिया वही होगी जो, सामान्य प्रशासन विभाग एवं उत्पाद हस्तक में विहित प्रावधानों के आलोक में आयुक्त उत्पाद बिहार द्वारा, समय–समय पर नियत किया गया हो अथवा समय समय पर नियत किया जाय। विसंगती अथवा विवाद की स्थिती में, प्रोन्नती की प्रक्रिया, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय–समय पर जारी किये गये प्रावधानों से आच्छादित रहेगा।

(4) (क) सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद के पद से अवर निरीक्षक उत्पाद के पद पर, प्रोन्नति हेतु शैक्षणिक योग्यता वही होगी, जो तत्समय अवर निरीक्षक उत्पाद के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु विहित हो।

12. **वरीयता।–**

(1) सीधी भर्त्ती द्वारा नियुक्त, उत्पाद सिपाही/अवर निरीक्षक उत्पाद की वरीयता, भर्त्ती एजेन्सी द्वारा निर्गत मेधा क्रम के आधार पर निश्चित की जायेगी।

(2) किसी कैलेन्डर वर्ष में प्रोन्नति से आये उत्पाद कर्मी, उस पद पर सीधी भर्त्ती से नियुक्त उत्पाद कर्मी से वरीय माने जायेंगे।

(3) विवाद अथवा विसंगती की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकार, ''आयुक्त उत्पाद'' द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग का इस संबंध में विहित किये गये प्रावधानों के अनुसार वरीयता का निर्धारण किया जायेगा।

13. **संवर्ग की प्रास्थिति।–** राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, निर्गत वर्गीकरण के अनुसार, इस संवर्ग की प्रास्थिति अवधारित होगी। यह संवर्ग राज्य स्तरीय होगा।

14. स्थानांतरण एवं पदस्थापन ।–

(1) इस संवर्ग के कर्मचारियों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन सामान्य प्रशासन विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेश/निदेश एवं उत्पाद हस्तक के प्रावधानों से पूर्णतः अच्छादित होगा।

(2)(क) उत्पाद सिपाहियों का स्थानांतरण राज्य के विभिन्न प्रमण्डलों में आयुक्त उत्पाद के द्वारा किया जा सकेगा।

(ख) किसी प्रमण्डल के जिलों में पदस्थापित उत्पाद सिपाहियों का स्थानांतरण, प्रमण्डलीय उपायुक्त उत्पाद के द्वारा किया जा सकेगा।

(ग) सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद एवं अवर निरीक्षक उत्पाद का स्थानांतरण/पदस्थापन, राज्य के विभिन्न जिलों एवं उत्पाद प्रमण्डलों में, आयुक्त उत्पाद बिहार, के द्वारा किया जा सकेगा।

(घ) जिला के अंदर, उत्पाद सिपाही, सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद एवं अवर निरीक्षक उत्पाद का स्थानांतरण, कार्य हित में जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के द्वारा किया जा सकेगा।

(ड़) स्थानांतरण सामन्यतः वर्ष में एक बार मई–जून माह में की जायेगी, परंतु आवश्यक होने पर सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति से कभी भी की जा सकेगी।

15. कर्तव्य एवं दायित्व ।–

(1) इस संवर्ग के सेवक अपनी अधिकारिता में वे सारे कार्य निष्पादित करेगें जो उत्पाद अधिनियम (उत्पाद मैन्युअल) में विहित है अथवा समय–समय पर, सरकार एवं सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित किया जाय।

(2) अवर निरीक्षक उत्पाद का कार्यक्षेत्र "उत्पाद अंचल" कहलायेगा। "उत्पाद अंचल" का विस्तार वही होगा जो सरकार द्वारा "राजस्व अंचल" का क्षेत्र परिभाषित किया गया है या विहित है।

16. अनुशासन, अपील एवं शास्तियाँ ।–

(1) इस संवर्ग के सभी सदस्यों पर बिहार उत्पाद हस्तक एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्रावधन लागू होंगे।

(2) प्रमंडलिय उपायुक्त उत्पाद प्रमंडल में पदस्थापित इस संवर्ग के सदस्यों के विरूद्ध, बिहार सकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005, के अधीन, नियुक्ति प्राधिकार/अनुशासनिक प्राधिकार में निहित लघु दण्ड देने की शक्ति, प्रत्यायोजित होगी।

(3) उपायुक्त उत्पाद, सहायक आयुक्त उत्पाद, एवं अधीक्षक उत्पाद द्वारा इस संवर्ग के कर्मियों के विरूद्ध की जानेवाली/की जा रही कार्यवाही की विस्तृत सूचना, ससमय आयुक्त उत्पाद को दिया जाना अनिवार्य होगा।

17. प्रकीर्ण विषय ।– इस नियमावली या इसके अधीन जारी किये गये आदेशों से अनाच्छादित मामलों के संदर्भ में इस सेवा के सदस्य राज्य सरकार के समुचित स्तर के कार्मिकों के संबंध में लागू संहितायें/नियमावली/संकल्प/अनुदेश द्वारा शासित होगें।

18. निर्वचन ।– इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन के संबंध में शंका उत्पन्न होन पर विषय विभाग को निर्देशित (Refer) किया जायेगा और इस संबंध में विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श के पश्चात् किया गया विनिश्चय अंतिम होगा।

19. विनियमावली बनाने की शक्ति ।– इस नियमावली में विहित प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विनियमावली का गठन किया जा सकेगा।

20. कठिनाई दूर करने की शक्ति ।– आयुक्त उत्पाद, बिहार इस नियमावली के किसी भी प्रावधान को क्रियान्वित करने में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को सरकार के अनुमोदन से ऐसे सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो, विधि विभाग से परामर्श के पश्चात् दूर कर सकेंगे।

21. निरसन एवं व्यावृत्ति ।–

(1) इस संवर्ग के संबंध में विभाग द्वारा समय–समय पर पूर्व में निर्गत संकल्प/नियमावली/आदेश आदि एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी पूर्व में निर्गत संकल्प/नियमावली/आदेश आदि के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया समझा जायेगा, मानों यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी, जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई कार्रवाई की गई थी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज,
सरकार के विशेष सचिव।

अनुसूची–I

उत्पाद सिपाही का आरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय में दी जाने वाली प्रशिक्षण के संबंध में।
(नियम–8 (1) द्रष्टव्य

1. उत्पाद सिपाही एवं सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद को समुचित एवं क्रमबद्ध शारीरिक एवं मानसिक प्रशिक्षण के लिए आरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय, नाथनगर, भागलपुर या अन्य प्रशिक्षण संस्थान जहाँ आयुक्त उत्पाद उचित समझे उन्हें छः माह के लिए भेजा जायेगा।
2. प्रशिक्षण हेतु चयनित उम्मीदवारों की सूची प्राचार्य आरक्षी प्रशिक्षण महाविद्यालय को कम से कम 15 दिनों पूर्व भेजी जायेगी। सूची में यदि कोई परिवर्तन की जाती है तो इसकी तात्कालिक सूचना प्राचार्य को दी जायेगी।
3. सामान्यतः प्रतिवर्ष 400 आवेदक, या आयुक्त उत्पाद जैसा उचित समझे, को दो बैच में प्राचार्य आरक्षी प्रशिक्षण महाविद्यालय से सम्पर्क कर प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा।
4. प्रत्येक उम्मीदवार को उत्पाद हस्तक की हिन्दी प्रति उपलब्ध करायी जायेगी।
5. संबंधित जिले के अधीक्षक उत्पाद यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके जिले से प्रशिक्षण हेतु जा रहे उम्मीदवारों के पास पूर्ण यूनिफार्म उपलब्ध है।
6. संबंधित जिले के उत्पाद अधीक्षक, उत्पाद सिपाही/सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद को आरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय में जाते समय निम्नलिखित कागजात आरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय के प्राचार्य को अग्रेसित करेंगे–
   (क) प्रशिक्षण विद्यालय में भेजे जाने से संबंधित जिला कार्यालय का आदेश।
   (ख) अंतिम वेतन प्रमाण पत्र।
   (ग) सेवापुस्त।
7. सभी प्रशिक्षु अपना वेतन उस जिला से प्राप्त करेंगे जिस जिला में प्रशिक्षण विद्यालय अवस्थित हो या जैसा आयुक्त उत्पाद द्वारा आदेश दिया जायेगा।
8. (क) उत्पाद सिपाही एवं सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद जो पूर्व से सेवा में है उन्हें पदस्थापन के जिला से आरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय एवं पुनः यहाँ से प्रशिक्षणोपरांत पदस्थापन के जिला में वापस जाने हेतु विहित यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा।
   (ख) नवनियुक्तों को प्रथम योगदान के स्थल पर योगदान देने हेतु कोई यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।
9. विभागीय कानून एवं नियमों का प्रशिक्षण, इस हेतु प्रतिनियुक्त निरीक्षक उत्पाद के द्वारा दी जायेगी। यदि प्रशिक्षक के द्वारा यह पाया जाता है कि कोई उत्पाद सिपाही या सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद मानसिक रुप से अयोग्य है तो इसकी सूचना तत्काल प्राचार्य को देंगे एवं प्राचार्य अपने मंतव्य के साथ इसे आयुक्त उत्पाद को अग्रेसित करेंगे। इस पर आयुक्त उत्पाद का निर्णय अंतिम होगा।
10. उत्पाद प्रशिक्षुओं को शारीरिक प्रशिक्षण पुलिस निरीक्षक के द्वारा दी जायेगी।
11. व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए उत्पाद प्रशिक्षु प्राचार्य आरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय के अनुमति पर उत्पाद प्रशिक्षक के साथ जिला उत्पाद पदाधिकारियों द्वारा आयोजित छापेमारी में जायेंगे एवं प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
12. विधि एवं नियमों की परीक्षा आयुक्त उत्पाद द्वारा चयनित उपायुक्त उत्पाद या अधीक्षक उत्पाद के द्वारा ली जायेगी। उत्पाद सिपाही मौखिक रुप से परीक्षा देंगे जबकि सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद की परीक्षा लिखित होगी। परीक्षा में उर्त्तीर्णांक पूर्णांक का 50 प्रतिशत होगा।
13. उत्पाद सिपाहियों को मानसिक एवं शारीरिक प्रशिक्षण दी जायेगी जो निम्न प्रकार होगी–
   (1) ड्रील
      (क) बिना शस्त्र का ड्रील
      (ख) शारीरिक व्यायाम
      (ग) लाठी ड्रील
      (घ) शस्त्र के साथ ड्रील
      (ड़) मोटरसाईकिल एवं हल्के चार चक्का वाहन चालन का प्रशिक्षण

   (2) मानसिक प्रशिक्षण
   (क) हिन्दी अंग्रेजी पठन एवं लेखन।
   (ख) सामान्य ज्ञान–राज्य में कौन क्या है, प्रमुख रेलवे स्टेशन, प्रमुख नदिया, जिला एवं अनुमंडल का नाम उत्पाद वस्तु एवं उत्पाद पदाधिकारियों का पद सोपान।
   (ग) मौलिक उत्पाद नियमों की प्रारंभिक जानकारी।
   (घ) उत्पाद सिपाहियों/सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद के कर्त्तव्य एवं मौलिक दायित्वों की जानकारी।

अनुसूची–II
(नियम–8 (2) (IV) द्रष्टव्य)

सीधी भर्त्ती के अवर निरीक्षक उत्पाद को पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में दी जानी वाली प्रशिक्षण

1. प्रशिक्षुओं को पुलिस प्रशिक्षण के क्रम में निम्नलिखित विषयों की विस्तृत जानकारी प्रदान की जायेगी।

(क) शैक्षणिक प्रशिक्षण

- (i) बिहार उत्पाद अधिनियम
- (ii) उत्पाद नियम एवं प्रक्रिया
- (iii) नारकोटिक्स ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक्स सब्सटांसेज एक्ट
- (iv) भारतीय दंड संहिता के अध्याय–II, III (धारा–63 से 72), iv (धारा–76, 78, 89, 86, 95 एवं 96 से 106) v (धारा–115, 117 एवं 118 को छोड़कर) IX, X, XI (धारा–191 से 193, 197, 198, 201 से 205, 213, 216बी, 217 से 218, 221 से 225बी) XII (धारा–262, 263) XVII
- (v) आपराधिक प्रक्रिया संहिता अध्याय–I (धारा–4), VII (धारा–94–97, 99,101 से 103), XIV (जो उत्पाद पदाधिकारियों के द्वारा किये जाने वाले अनुसंधान से संबंधित हो), XV (धारा– 177, 180, 182, 183, 190), XX, XXI, XXII (धारा–260, 262, 263), XXIII (धारा–310, 311), XXIV (धारा–342–344), XXX, XXXIII (धारा–443, 451, 452, 453), XXXVIII (धारा– 494–495), XXXIX (धारा–496, 498, 499, 500), XII एवं XLII
- (vi) साक्ष्य अधिनियम–अध्याय–I (धारा–3 एवं 4), II (धारा–14–17, 21, 24–30, 32–35, 39–40, 45–47, 51, 53, 54) III, IV, V (धारा 61–67, 73–74, 80–88) VII (धारा 101–106, 110, 114), IX (धारा–118–120, 122–134) X (धारा–135, 137–149, 151, 161–165)
- (vii) लेखा–लेखा से संबंधित सामान्य जानकारी एवं बिहार सेवा संहिता की सुसंगत धाराये
- (viii) विविध–प्राथमिक उपचार की सामान्य जानकारी एवं जैसा आयुक्त उत्पाद द्वारा समय–समय पर विहित की जाय।

(ख) व्यवहारिक प्रशिक्षण –

- (i) न्यायालय में उत्पाद अभियोगों का प्रोजिक्यूशन
- (ii) उत्पाद अभियोगों का उद्भेदन एवं अनुसंधान
- (iii) मद्य भंडागारों से संबंधित कार्यो का प्रशिक्षण
- (iv) अन्य उत्पाद कार्य जैसा विहित किया जाय

(ग) वाह्य प्रशिक्षण –

- (i) बिना शस्त्र ड्रील
- (ii) शस्त्र सहित ड्रील
- (iii) शारीरिक प्रशिक्षण
- (iv) दुपहिया एवं चार पहिया वाहन चालन का प्रशिक्षण

2. विधि, उत्पाद नियम एवं प्रक्रिया, तकनीकी उत्पाद मैनुअल, लेखा, भंडागार में व्यवहारिक प्रशिक्षण, आरक्षी प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रतिनियुक्त निरीक्षक उत्पाद से अन्यून पदाधिकारियों के द्वारा प्रदान किया जायेगा। इनकी प्रतिनियुक्ति उस जिला से की जायेगी जिस जिला में आरक्षी प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थित हो अथवा जैसा आयुक्त उत्पाद विहित करें।

3. उत्पाद कैडेट शारीरिक एवं विविध प्रशिक्षण पुलिस कैडेट के साथ पुलिस प्रशिक्षक के द्वारा प्राप्त करेंगे।

4. उत्पाद कैडेट उत्पाद से संबंधित तकनीकी एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण उस जिला के उत्पाद निरीक्षक से प्राप्त करेंगे जिस जिला में महाविद्यालय अवस्थित होगा अथवा जैसा आयुक्त उत्पाद विहित करेंगे।

5. अभियोग के उद्भेदन एवं अनुसंधान से संबंधित व्यवहारिक प्रशिक्षण, उस जिला, जिस जिला में प्रशिक्षण महाविद्यालय अवस्थित है, के द्वारा आयोजित की जाने वाली छापामारी, अनुसंधान एवं उद्भेदन दल के साथ, प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य की अनुमति से, प्राप्त कर सकेगी।

प्रशिक्षण महाविद्यालय में उत्पाद कैडेट के परीक्षा पत्र, पूर्णांक, उत्तीर्णांक एवं समय निम्न प्रकार होगे -

क्र0	विषय	पूर्णांक	उत्तीर्णांक	समय
1	भारतीय दंड संहिता, अपराधिक प्रक्रिया,साक्ष्य अधिनियम (पुस्तक सहित)	100	50	3 घंटा
2	उत्पाद अधिनियम, ओपियम एक्ट, डैंजरस ड्रग एक्ट, ओपियम स्मॉकिग एक्ट,पावर अल्कोहल एक्ट एवं मोलासेज कंट्रोल एक्ट।	100	50	3 घंटा
3	उत्पाद मैन्युअल एवं तकनिकि उत्पाद मैन्युअल	100	50	3 घंटा
4	बिहार सेवा संहिता(पुस्तक सहित)	50	25	2 घंटा

व्यवहारिक परीक्षा -

क्र0	विषय	पूर्णांक	उत्तीर्णांक	समय
1	प्राथमिक उपचार	25	13	1 घंटा
2	दोपहिया एवं चार पहिया वाहन चालन	50	25	1 घंटा
3	व्यायाम (ड्रील)	50	25	1 घंटा
4	यंत्रो का उपयोग	50	25	1 घंटा

अनुसूची–III

(नियम–8 (2) (V) द्रष्टव्य

सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद से प्रोन्नत अवर निरीक्षक उत्पाद को आरक्षी प्रशिक्षण महाविद्यालय में दी जाने वाली पुनाश्रय पाठ्यक्रम (Refresher Course) करना होगा जो निम्न प्रकार होगा –

1. शारीरिक गतिविधि एवं पैरेड
2. अधीनस्थों पर नियंत्रण का पशिक्षण
3. प्रमुख उत्पाद अधिनियम की जानकारी
4. शस्त्र के साथ ड्रील
5. दोपहिया एवं चौपहिया वाहनो के चालन का प्रशिक्षण

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज,
सरकार के विशेष सचिव।

The 28th July 2017

No. 7/Stha(Araj.E)-21/2016 -3248—In exercise of the power conferred by proviso of Article 309 of the constitution of India, The Governor, of Bihar is pleased to make following rules for regulating the procedure of appointment to the sanctioned post and service condition of Non-Gazetted Excise officers Bihar.

1. ***Short title, extent and commencement.—***

(1) These rules may be called Bihar Non-Gazetted Excise officers (Recruitment and service conditions) rules 2017.

(2) It shall extended to the whole Bihar.

(3) It shall come into force from the date of issuance of this notification.

2. ***Definitions.****—In these rules, unless otherwise requires in the subject or context:-*

(i) "Government" means the Government of Bihar ;

(ii) "Appointing Authority" means Excise Commissioner, Bihar ;

(iii) "Department" means Prohibition, Excise and Registration Department ;

(iv) "Cadre" means Bihar Non-Gazetted Excise officer's cadre ;

(v) "Commissioner" means Excise Commissioner, Bihar ;

(vi) "Recruitment Agency" means Bihar Staff Selection Commissions or any agency selected by the department ;

(vii) "Schedule" means schedules attached with these rules.

3. ***Structure of the Cadre.***—

(1) Hierarchy of post of the Cadre will be as following :-

(a) Excise Constable

(b) Excise Assistant Sub-Inspector

(c) Excise Sub-Inspector

(2) The total strength of posts of the cadre will be the same, as may be prescribed and sanctioned by the state government, from time to time. The state government may revise the number of strength of posts as per requirement, from time to time.

4. ***Recruitment.***— Appointment against the regular post of the Cadre, will be made in the pay scale prescribed by the state government in accordance with the prescribed procedure by the competent authority.

(1) All the posts of Excise Constables will be filled by direct recruitment.

(2) Appointment of the dependents of the deceased persons may be made on the compassionate ground against the sanctioned posts of the Excise Constables.

(3) All the posts of Assistant Sub-Inspector Excise will be filled by promotion from trained Excise Constables in accordance with seniority, and ability.

(4) 75 percent of total strength of posts of Excise Sub-Inspector, will be filled by direct recruitment. Remaining 25 percent posts will be filled by promotion from the Assistant Sub-Inspectors of Excise, holder of qualifications prescribed for the post of Sub-Inspector, on the basis of seniority and ability.

5. ***Qualification for Direct Appointment.***—The Educational qualification, Physical Ability, age limit, other eligibility criteria and procedure of recruitment to the post of Excise constable and excise sub-inspector shall be adopted as prescribed for the post of police constable and police sub-inspector respectively in the Bihar police manual 1978 and subsequent amendment vide notification made by the home department bihar for the appointment to the post of police constable and police sub-inspector.

6. ***Reservation.***—

(1) In this cadre, provisions of reservation/roster, enforced for time being in the state will be followed at the time of direct recruitment or promotion.

(2) Benefit of reservation in recruitment and promotion shall be admissible only to the original residents of the state of Bihar. Candidates of reservation category of other state shall be considered as a candidate of general category.

7 ***Probation period*** –

(1) Probation period, for direct recruits/ newly appointed Excise Constables on compassionate ground, shall be of six months.

(2) Probation period for direct recruits to the post of Excise Sub-Inspector shall be of two years.

(3) On service not found satisfactory during probation period, and with reasons to be recorded, the probation period may be extended up to six month in case of constable and one year in the case of Excise Sub-Inspectors. If service is not found satisfactory even during extended probation period, the official may be terminated from service by giving the opportunity of hearing under the principle of natural justice.

8. ***Training*** .—

(1) It shall be compulsory for the newly appointed Excise Constables to get the training of realizable excise rules for constables, made under the provisions of Excise Act (as may be prescribed by the Excise Commissioner), including arms training and all other trainings which is given to the police constables. The training will be given in Constable Training School at Nathnagar or the places as it may be prescribed by the Appointing Authority. Excise Constables shall be treated as trained only after passing the examination held after training in the Constables Training School. Prescribed procedure for training is specified in schedule- I.

(2) (i) Excise Sub-Inspectors appointed by direct recruitment will be required to get such training or to pass such Departmental Examination during probation as it may be prescribed by the Appointing Authority from time to time. For proper and systematic physical and mental training, the recruits may be sent from time to time to those police training colleges which the appointing authority i.e. Excise Commissioner may think suitable.

(ii) The training period will be of six months or it will be the same as it may be prescribed by Excise Commissioner.

(iii) During training, Excise Act and rules framed under it, Indian Penal Code, Criminal Procedure, Prescribed sections of Evidence Act, and other relevant Act, along with arms training and all other training that is given to Police-Sub-Inspectors, or as the competent authority directs, shall be compulsory

(iv) The detailed instruction for the training of directly recruited Excise sub-inspectors is specified in schedule- II to this rule.

(V) Excise sub-inspectors, promoted from Assistant Sub-Inspector of Excise, shall have to get a refresher course training and about how to have control over subordinates, for two months, or as the Excise Commissioner prescribes. The detailed instruction for refresher course training and how to have control over subordinates is specified in schedule- III to this rule.

9. ***Confirmation*** .–

(1) The service of the Excise constables shall be confirmed by the Excise Commissioner after satisfactorily completion of probation period and after being successful in the examination held at Constable Training School after the completion of training.

(2) The service of the Excise Sub-Inspectors shall be confirmed by the Excise Commissioner after satisfactorily completion of probation period and after being successful in the examination held at Police Training College after completion of training as well as prescribed Departmental Examination.

10. ***Pay scale*** .—Pay scale determined by the state government from time to time shall be admissible to the different post in this cadre.

11. ***Promotion*** –

(1)(a) All the post of Excise Assistant-Sub Inspectors will be filled by promotion from Excise constables on the basis of seniority and eligibility.

(b) Assistant Sub-Inspectors of excise shall be promoted to the post of Sub-Inspector of Excise against the 25 percent of total sanctioned post of Sub-Inspector of Excise on the basis of seniority and eligibility.

(2). ***Eligibility for promotion-***

(a) ***Tenure of service***.—The minimum Period of satisfactory qualifying service (kalawadhi) for promotion to the different cadre posts in this cadre will be the same as may be prescribed by the orders/instructions of the General Administrative Department from time to time.

(b) ***Confirmation***.—confirmation in the service will be compulsory for the promotion.

(c) ***Conduct***.—It will be compulsory for the employee to have satisfactory conduct for consideration for promotion. There shall not be any departmental proceeding pending against the candidate and no punishment, is effective in the period of consideration for promotion.

(d) ***Training***.—It will be compulsory to pass in the examination held after training in the Police Training School/College and other training Institute.

(3) (a) Promotion will be given on the recommendation made by the Departmental Promotion Committee constituted for this purpose.

(b) The procedure of promotion in this cadre will be the same as it have been or may be fixed from time to time by Excise Commissioner, Bihar in view of the provision of General Administrative Department and Excise Manual. In case of dispute and anomaly, the procedure of promotion shall remain covered by the provisions issued by General Administrative Department from time to time.

(4) The educational qualification for promotion to the post of Excise Sub-Inspector from Assistant Sub-Inspector Excise, will be the same as is prescribed for direct recruitment to the post of Sub-Inspector Excise for the time being.

12. ***Seniority***.—

1. The seniority of Excise Constables and Excise Sub-Inspectors will be fixed on the basis of merit order issued by "Recruitment Agency" for the direct recruitment.
2. Coming Excise employees by promotion shall be senior to the Excise employees appointed by the direct recruitment in any calendar year.
3. In case of dispute or anomaly the seniority will be determined by the appointing authority i.e. Excise Commissioner as per the provisions, prescribed in this respect, by the General Administrative Department.

13. ***Status of the Cadre.***— The status of this cadre shall be determined in accordance with the classification issued by the State Government, from time to time. This Cadre will be of State level.

14. ***Transfer-Posting.***—

(1) Transfer and Posting of employees of this cadre will be fully covered by the order/directions issued by the General Administrative Department/Cabinet secretariat Department and by the provisions of Excise Manual.

(2) (a) Transfer of Excise Constables may be made by Excise Commissioner in different Divisions of the State

(b) Transfer and Posting of Excise Constables may be made by Deputy Commissioner of the Division in different districts within division

(c) Transfer and Posting of Excise Assistant Sub-Inspectors and Excise Sub-Inspectors may be made by Excise Commissioner in the districts of state and Excise Divisional offices.

(d) Transfer of Excise Constables, Assistant Sub-Inspectors, Excise Sub-Inspectors within a district may be made by Excise Superintendent and Assistant Commissioner of Excise of the district.

(e) Generally the transfer shall be made once in a year in the month of May-June but if necessary, it may be made any time by the permission of the Competent Authority.

15. ***Duty and Liability.—***

(1) Staff of this cadre shall perform all their duties in their jurisdiction which are prescribed in Excise Act (Excise manual) or may be prescribed by Government and competent authority from time to time.

(2) Areas of working of Excise Sub-Inspector shall be called "Anchals". The extent of an Excise "Anchals" shall be the same as the areas of a "Revenue "Anchals" is defined or prescribed by the government.

16. ***Discipline, Appeal and Penalty.—***

(1) Provisions of the Bihar Excise Manual and the Bihar Government Servant (Classification Control and Appeal) Rule-2005, as amended time to time shall be applicable to all the members of this cadre.

(2) The power of appointing/disciplinary authority of giving minor punishment against the members of this cadre posted in the division, under the Bihar Government servant (classification-control-appeal) rule 2005 will be delegated in the Divisional Deputy Commissioner of Excise.

(3) It will be compulsory, to provide detailed information about proceeding drawn or to be drawn against the staff of this cadre, to the Excise Commissioner in time, by the Deputy Commissioner Excise, Assistant commissioner of Excise and Excise Superintendent.

17. ***Miscellaneous Subjects.—*** In context of matters not covered by these rules, or orders issued under these rule, the members of this cadre will be governed by the codes/Rules/Resolutions/ Instructions of state government, applicable to other employees of appropriate level of state government.

18. ***Interpretations.—*** If any doubt arises in respect of interpretation of any provisions of these rules, the matter will be referred to the department. The decision of the department, after consultation with the Law department will be final.

19. ***Power to make regulation.—*** For implementation of the provisions prescribed in these rules, the state government may make regulation.

20. ***Power to remove difficulties* –** The Excise Commissioner, Bihar, with the approval of the government, may remove any difficulties arising in the implementation of any provisions of these rules, by such a general or a special order which is not irrelevant to the provisions of these rules,after consultation with Law Department.

21. ***Repeal and savings.—***

(1) Resolutions /Rules /orders etc. already issued by the state government from time to time, relating to this cadre, are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Rules/Resolution and Orders issued prior to these rules, shall be deemed to have been done or taken under these Rules as if these Rules were come in to force on the day on which such thing was done or such action was taken.

By order of the Governor of Bihar,
ABHAY RAJ,
Special secretary to government.

Schedule-I
Regarding training to be imparted at Constables Training School.
See Rules-8 (1)

1. For imparting sound and systematic physical and mental training, Excise constables and Excise Assistant Sub-Inspectors will be sent to Constables training school Nathnagar, or other training Centers where the Excise Commissioner thinks fit.

2. A list of selected candidates will be sent to principle Constables Training School, at least 15 days before. If any subsequent change is made in the list may immediately be communicated to the principle Constables Training School.

3. Generally 400 candidates, in two batches, of 200 hundred cadets of each, or as the Excise Commissioner, thinks fit will be sent for training after consultation with the principle Constables Training School.

4. A Hindi version of Bihar Excise Manual will be made available to every candidate.

5. Excise superintendent/Excise Assistant Commissioner of the district from which the cadets are deputed for training shall insure that the cadets have full uniforms.

6. Excise Superintendent/Excise Assistant Commissioner of the concerned districts, which sending constables or assistant sub-inspectors for training, shall forward simultaneously the following documents to the principle constables training school.

(a) A copy of district order deputing him to constable training school.
(b) The last pay certificate.
(c) The service book.

7. Pay of the cadets will be disbursed by the Excise office in which the training school is situated or as per the direction made by the excise commissioner.

8. (a) Travelling allowances to, Excise constable and Excise Assistant Sub-Inspectors already in service, shall be admissible for a journey from the district of posting to Constable training school and for back from Constables training school to district of their posting.

(b) Travelling allowances will not be admissible to new recruits for journey to join their first appointment.

9. Instruction in Laws and Rules of the department will be taught by an Inspector of Excise, deputed to Constables Training School for the purpose. If the trainer finds that any constables or assistant sub-inspector is mentally unfit for training, he will immediately report to the principle, who will send report with his own opinion to Excise commissioner. Decision of Excise Commissioner will be final in this regard.

10. Physical training to the Excise cadets will be imported by the police Inspector.

11. For the purpose of practical training the excise cadets may go out with the excise inspector in some of raiding parties organized by the district staff subject to the permission of principle Constable Training School.

12. The examination in law and excise rules will be held y one of the Deputy Commissioner/Excise Superintendent/Excise Assistant Commissioner selected by the Excise Commissioner. Excise constables will be examined orally and Assistant Sub-Inspector will be examined in writing. Pass marks will be fifty percent of total marks allotted.

13. The physical and mental training to be imparted will be as following;

(1) **DRILL**

(a) Squad drill without arms.
(b) Physical exercise
(c) Lathi drill'
(d) Drill with arms.
(e) Training for driving two wheelers/four wheeler (Light vehicles)

(2) **Mental Training**

(a) Reading and writing of Hindi and English
(b) General knowledge about ministers, administrators of the state government, important rivers, railway stations name of sub-divisions and districts of the state.
(c) Basic knowledge of fundamental Excise Rules.
(d) About the duties and responsibility of Excise Constables and Assistant Sub-Inspector.

Schedule-II

Training to be imparted to the directly recruited Excise Sub-Inspector at Police Training College.

See Rules-8 (2) (iv)

1. The trainee will be taught in detail the following subject during police training.

(a) Educational Training

(i) Bihar Excise Act
(ii) Excise Rules and Procedure
(iii) Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act
(iv) Indian Panel Court
Chapter-II, III (Section-63-72), IV (Section-76, 78, 89, 86, 95 and 96-106), V (Excluding Section-115, 117, 118), IX, X, XI (Section-191, 193, 198, 201, 205, 213, 216, 217, 218, 221, 225 b), XII (Section-262-263), XVI.
(v) Criminal Procedure Chapter-1 (Section-4) VII (Section-94-97, 99, 101-103), XIV (Whichever is relevant for investigation to be made by Excise Officers), XV (Section-177, 180, 182, 183, 190), XX, XXI, XXII (Section-260, 262, 263), XXIII (Section-310-311), XXIV (Section-342-344), XXX, XXXIII (Section-443, 451-453), XXXVIII (Section-494-495), XXXIX (Section-496, 498-500) & XLII.
(vi) Evidence Act Chapter-1 (Section-3-4), II (Section-14-17, 21, 24-30, 32-32, 39-40,, 45-47, 51, 53, 54), III, IV, V (Section-61-67, 73-74, 80-88), VII (Section-101-106, 110, 114), IX (Section-118-134), X (Section-135, 137-149, 151, 161-165)
(vii) Account-Common Knowledge of Account and relevant section of Bihar Service Code.
(viii) Miscellaneous-Preliminary knowledge of first aid to the injured or as prescribed by Excise Commissioner from time to time.

(b) Practical Training

(i) Prosecution of Excise cases in Court.
(ii) Investigation and Detection of Excise cases.
(iii) Work related Detection of Excise cases.
(iv) Other Excise works as prescribed from time to time by Excise Commissioner.

(c) External Training

(i) Drill without Arms
(ii) Drill with Arms
(iii) Physical training

(iv) Driving training of two wheelers and four wheelers (Light vehicles)

2. Instruction in Law, Excise rules and procedure, technical Excise Manual, Account, Practical training for warehouse and distilleries working will be given by an officer not below the rank of Excise Inspector, deputed in police training college for the purpose. Posting of instructor will be made from the district Excise office where the training college is situated or as the Excise Commissioner prescribes.

3. Excise cadet will get technical and practical training from Excise Inspector of the district where the training college situated or as prescribed by the Excise Commissioner.

4. Excise cadets will get technical and practical training from Excise Inspector of the district where police cadets.

5. For the purpose of practical training for investigation and detection of Excise cases the cadet will be attest with the raiding team of the district, where the training college is situated by the prior permission of principle of training college, the subjects, full marks, pass marks and time allowed for examination of Excise cadets at police training college will be as followings

Sl. No.	Subject	Full Marks	Pass Marks	Time
1	Indian panel Code Criminal procedure Code Evidence Act With Book.	100	50	3 Hour
2	Excise Act, Opium Act, Dangerous Act, Opium Smoking Act, Power Alcohol Act and Molasses Control Act.	100	50	3 Hour
3	Excise Manual and Technical Excise Manual.	100	50	3 Hour
4	Bihar Service Code With Book.	50	25	2 Hour

Practical Examination

Sl. No.	Subject	Full Marks	Pass Marks	Time
1	First Aid	25	13	1 Hour
2	Driving two wheeler and four wheeler	50	25	1 Hour
3	Drill	50	25	1 Hour
4	Use	50	25	1 Hour

Schedule-III

See Rules-8 (2) (v)

The Refresher Course for Excise Sub-Inspector promoted from Excise Assistant Sub-Inspector at Police Training College will be as following.

1. Physical Training and Parade
2. Training for command on sub ordinates
3. Knowledge of important Excise Act
4. Drill with arms
5. Training for driving (Two and four Wheelers-light vehicles)

By order of the Governor of Bihar,

ABHAY RAJ,

Special secretary to government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

बिहार गजट (असाधारण)676-571+500-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in